



भारत का राजपत्र The Gazette of India असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1928]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2010/भाद्र 24, 1932

No. 1928]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2010/BHADRA 24, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2010

का.आ. 2278(अ).—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 24) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 सितम्बर, 2010 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. एस-11012/1/2007-आईआर (पीएल)]

रवि माथुर, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2010

S.O. 2278(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Industrial Disputes (Amendment) Act, 2010 (24 of 2010), the Central Government hereby appoints the 15th day of September, 2010, as the date on which the said Act shall come into force.

[F.No. S-11012/1/2007-IR (PL)]

RAVI MATHUR, Addl. Secy.